न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
99/19	धारा 91 एल.आर.एक्ट	27.09.19	26.11.19

उनवान सरकार बनाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र भोलाराम निवासी हुक्मा की ढाणी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

–: निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 बुहाना की ओर से तहसीलदार बुहाना को एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि स्टेट हाइवे 13 स्थान सिघांना मे स्टेट हाइवे 13 व एन0एच 11 मार्ग पर सा0नि0वि0 की सीमा मे अतिक्रमण सुरेन्द्र कुमार पुत्र भोलाराम निवासी हुक्मा की ढाणी ने 5–10 मी0 की दूरी पर ठैलो वालो का मौखिक रूप से अतिक्रमण हटाने को कहने के बाद भी आज दिंनाक तक अमिक्रमण नही हटाया गया है। अतः अक्रिमी के विरूद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 की कार्यवाही अमल मे लाई जावे।

तहसीलदार बुहाना द्वारा पत्र कमाक/राजस्व/1272 दिंनाक 20.08.2019 को मुल प्रकरण नायब तहसीलदार सिंघाना को अतिक्रमी के विरूद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु भिवाया गया।

प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अतिक्रमी सुरेन्द्र कुमार पुत्र भोलाराम निवासी हुक्मा की ढाणी को राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया।नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी अनुपस्थित रहा।

पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 बुहाना तथा जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित अभिवचनो का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत विवादित अतिक्रमण की भूमि पर प्रभावहीन व सारहीन साबित होते है। अतः यह न्यायालय अतिक्रमी सुरेन्द्र कुमार पुत्र भोलाराम निवासी हुक्मा की ढाणी ने एन.एच 11 एंव सिंघाना सर्किल पर 5–10 मी0की दूरी पर (स्थाई रूप से) ठेले का अतिक्रमण किए जाने के फलसवरूप अतिक्रमी घोषित किया जाकर बकदखल के आदेश दिए जाते है।

सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्त अतिक्रमण को भौतिक रूप से बेदखल की कार्यवाही करे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर रहे।

उप तहसीदार सिंघाना

Scanned with CamScanner